	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 27, गुरूवार, *शाके* 1947- अप्रेल 17, 2025 *Chaitra 27, Thursday, Saka 1947- April 17, 2025*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 01, 2025

संख्या पं.17(6)श्रनि/2023 :-राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक-पं.17(6)श्रनि/2023 दिनांक 01.04.2025 जारी कर निम्न न्यायाधीश को उनके समक्ष अंकित न्यायालय में अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने हेतु पदस्थापित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947(1947 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14) की धारा 7 की उप धारा (2) एंव धारा 7 ए की उप-धारा (2) सपठित धारा 8 तथा राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम, 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इसके द्वारा नीचे सारणी के कालम सं. 02 मे उल्लेखित राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला जज केडर के अधिकारी को उनके सामने कालम स. 03 में वर्णित श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम**
(01)	(02)	(03)
1	श्री कमल लोहिया, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नं.2 श्रीगंगानगर।	न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, श्रीगंगानगर।
2	श्री महेन्द्र कुमार दवे, न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय,उदयपुर	न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उदयपुर।

राज्यपाल के आदेश से,
सोहन लाल मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।